आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 26/11** **विक्रमा मांझी बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 182 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा) क द्वारा विक्रमा मांझी, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 36/94, ग्राम–पदमौल, पंचायत–डुमरसन, थाना+प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विकेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विकेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विकेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।	

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3448 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 8.12.10 को अपीलार्थी अन्त्योदय योजना का ड्रॉफ्ट बनाने हेतु बैंक गया था, जिसकी सूचना सूचनापट्ट पर दी गयी थी। साथ ही दूकान का सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित कर बैंक गया था। अपीलार्थी परिवार का अकेला जिम्मेवार व्यक्ति होने के कारण अपने दूकान से संबंधित कुल कागजात व चाभी अपने पास ही रखता है। अपीलार्थी किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव नियमित रूप से करता है तथा उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में करता है। यह भी बतलाया कि अपीलर्थी के द्वारा माह सितम्बर एवं नवम्बर का किरासन तेल का उठाव कर उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के बीच करके कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर का उठाव कर उसका वितरण उपभोक्ताओं के बीच करके कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के द्वारा बी.पी.एल. योजना का खाद्यान्न माह अक्टूबर का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया, जिसका कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न की गयी है। नवम्बर माह का केवल चावल बी.पी.एल. का उठाव किया, जो भंडार पंजी में दर्शाया गया है। गेहूँ गोदाम में नहीं रहने के कारण उठाव नहीं किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजात के परिशीलन के उपरान्त मैं

यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के वितरण पंजी में काफी अनियमितता व्याप्त है। सितम्बर एवं नवम्बर, 2010 के किरासन तेल के उपभोक्ताओं के नाम के सामने दिए गए कूपन क० में अंतर है।

क. सं.	उपभोक्ताओं का नाम	सितम्बर माह के कूपन सं०	उपभोक्ता का कम सं०	नवम्बर माह के कूपन सं०	उपभोक्ता का कम सं०
1.	राजेन्द्र साह	0512047	27	0472119	30
2.	परमा राय	0513143	43	0471452	139
3.	बघी राय	0512211	44	0471808	144

इसी प्रकार की अनियमितता विक्रेता के द्वारा अन्त्योदय खाद्यान्न के वितरण पंजी में भी बरती गयी है।

क. सं.	उपभोक्ताओं का नाम	सितम्बर माह के कूपन सं०	उपभोक्ता का कम सं०	अक्टूबर माह के कूपन सं०	उपभोक्ता का कम सं०
1.	चन्द्रावती कुवर	0062547	01	0051649	09
2.	बसमतियॉ कुंवर	0062527	16	0052361	14
3.	किशुन साह	0062400	28	0052139	35
4.	प्रभु साह	0062484	63	0052312	48
5.	मोखतार राम	0062489	84	0052305	69

विदित है कि बिहार राज्य कूपन योजना 2006 के आलोक में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए कूपन का कम सं० सम्पूर्ण वर्ष में एक ही होता है। वितरण पंजी में दर्शाए गए एक ही उपभोक्ता का अलग–अलग कूपन सं० से स्पष्ट होता है कि यह वितरण पंजी फर्जी है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1068 दिनांक 15.12.14

प्रतिलिपि – SDO मढ़ौरा / DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित

o/c

वरीय उप समाहर्ता
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सारण